

विचार बिन्दु

धीरज सारे आनंदों और शक्तियों का मूल है। -फ्रेंकलिन

प्रसारण सेवा विनियम विधेयक- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण की तैयारी

लो

कासमा चुनाव 2014 एवं विशेष कर 2019 में रोटरे मोटी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का बहुत प्रभावित प्रयोग किया। लगभग प्रतिदिन मनदाताओं को भाजपा की विचारधारा के समर्थन में सोशल मीडिया में एक प्रकार से वैचारिक बहारी देखें को मिली। इसके कारण, मनदाताओं की सोच पूरी तरह प्रभावित हुई। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे ब्लॉग्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर भाजपा ने न केवल अपने जनताओं के पथ में प्रभावी संदेश मनदाताओं तक पहुंचाया अंतिम उसने स्वतंत्रता संभाली। अनेक सेनानियों जैसे महाना श्री और जीवंदी वॉइटों भी जारी किए और एवं वॉइटी संख्या में लोगों तक पहुंचाया।

इसी का परिणाम यह कि 2019 में प्रभावी मंत्री मोटी को अंतिम उपलब्ध सफलता पापु हुई एवं भारी बहुमत वाली सरकार बनी। 2019 के बाद भी सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के कारण प्रधानमंत्री मोटी की छाप एक अप्रत्यय नेता के रूप में बना दी गई। न केवल यह, उन्हें विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक घोषित कर दिया।

2019 के पश्चात, विशेष कर कोरोना के दौरान, सरकार की असफलताओं के बहुत सारे उदाहरण कुछ प्रबुद्ध करकारों एवं युवाओं द्वारा जाता के सामने लाए गए कई निष्पक्ष और खत्म प्रकार जैसे अधिकारी, अधिकारी अंजुम, रसीद कुमार ने प्रभुवी राष्ट्रीय समाचार चैनलों को छोड़कर अपने यूट्यूब चैनल बना लिए। इनके अंतिम ध्वन गारी जैसे व्यक्ति जो पहले से ही अपने शैक्षणिक एवं यात्रा वॉइटों के कारण बहुत लोकप्रिय थे उन्होंने भी सांसारियों विवेषों पर अपने वॉइटों जैसे बनाकर पोस्ट करने शुरू किए थे। इन्होंने कई ऐसे तथ्य की जनता के सामने रखने प्रारंभ किए जिससे प्रधानमंत्री की छाप एवं प्रधारन पड़ा। इन लोगों ने शोध करके प्रधानमंत्री मोटी के 2014 और 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान देख लिए गए भाजपा की विलम्पियाँ एक त्रैयों और उनकी तुलना वार्तालाल की स्थिति से की और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सरकार के अधिकांश वारे पूरे नहीं हुए हैं। कई कमियों जो पहले सामने नहीं आ पाती थीं, वे बत सामने आने लगा।

विशेष दलों, विशेषकर कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया का प्रकाश का प्रभावी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। विशेष दलों द्वारा सोशल मीडिया के प्रभावी प्रयोग का विशेष उपयोग था कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम अलग तरह हो जाए। मोटी जारी की अंतिम विशेष समाचार में लोकसभा में '400 पार' का नारा दे रहे थे, वही जारी 2024 के परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी को 400 तो दूर की बात है अपने स्वयं के स्तर पर बहुमत के आंकड़े अंतर्धान 272 से भी 30 सेटे कह मिली।

सरकार की आलोचना के लिए सोशल मीडिया का उपयोग इतना अधिक होने लगा कि नवंबर 2023 में सरकार ने केवल एवं टीवी नेटवर्क का कानून 1995 के स्थान पर प्रसारण सेवाएं विनियमन 2023 का प्रारूप जनता के सामने प्रस्तुत किया। यह बात लोकसभा में सीढ़ी की ओर दूरी की थी। अतः इसे विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत ही क्या गया एवं अब चुनाव पूर्व होने के पश्चात अग्रेल 2024 में इसी विधेयक का संस्कृति प्रारूप तैयार किया गया है। इसे कैबिनेट के समक्ष शीघ्र रखा जाकर पारित कराया जाएगा। यह एक उपरक पश्चात इसे संसद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि संसद में भी यह पारित हो गया तो फिर यह प्रसार सेवा विनियम कानून का रूप ले लेगा और पूरे देश में लगू हो जाएगा। इस कानून की पृष्ठशीर्ष ही यह है कि सरकार ने यह अनुभव किया कि सरकार की कौटी आलोचना का मुख्य माध्यम अब राष्ट्रीय चैनल की ऊंचाई यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि बन गए हैं, अतः इन पर केवल करें बिना काम चलने वाली ही है।

यह दिलचस्प है कि प्रसारण सेवाएं विनियमन विधेयक का प्रारूप अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि इसका प्रारूप कुछ औरटोयों प्लॉफाम के मालिकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ कानून की पृष्ठशीर्ष किया गया एवं उन्हीं को अधार पर यह संस्थान विधेयक प्रारूप बनाया जाएगा। अतः इसे कौटी वॉइटों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

यह वैसी ही स्थिति होगी जैसी किसानों के संबंध में तो वह कानून बनाते समय हुई थी। उस समय भी किसानों से राय नहीं ली गई थी। संसद में भी उस पर बहस नहीं हो पाई थी और अपने भारी बहुमत के आधार पर शोर शोर से परित राय लिया गया था। अंततः, किसानों के केंद्र विरोध और 700 किसानों की आंदोलन में हुए मूल्य के पश्चात, सरकार को वे तीनों कानून का वापस लेने पड़े। विशेष प्रकार से प्रसारण सेवाओं को विधेयक करने के पश्चात कानून का बनाने में नहीं होगी। इसे कैबिनेट के समक्ष शीघ्र रखा जाकर पारित कराया जाएगा। यह एक उपरक पश्चात इसे संसद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

यह वैसी ही स्थिति होगी जैसी किसानों के संबंध में तो वह कानून बनाते समय हुई थी। उस समय भी किसानों से राय नहीं ली गई थी। संसद में भी उस पर बहस नहीं हो पाई थी और अपने भारी बहुमत के आधार पर शोर शोर से परित राय लिया गया था। अंततः, किसानों के केंद्र विरोध और 700 किसानों की आंदोलन में हुए मूल्य के पश्चात, सरकार को वे तीनों कानून का वापस लेने पड़े। विशेष प्रकार से प्रसारण सेवाओं को विधेयक करने के पश्चात कानून के बनाने में नहीं होगी। इसे कैबिनेट के समक्ष शीघ्र रखा जाएगा। यह एक उपरक पश्चात इसे संसद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

यह वैसी ही स्थिति होगी जैसी किसानों के संबंध में तो वह कानून बनाते समय हुई थी। उस समय भी किसानों से राय नहीं ली गई थी। संसद में भी उस पर बहस नहीं हो पाई थी और अपने भारी बहुमत के आधार पर शोर शोर से परित राय लिया गया था। अंततः, किसानों के केंद्र विरोध और 700 किसानों की आंदोलन में हुए मूल्य के पश्चात, सरकार को वे तीनों कानून का वापस लेने पड़े। विशेष प्रकार से प्रसारण सेवाओं को विधेयक करने के पश्चात कानून का बनाने में नहीं होगी। इसे कैबिनेट के समक्ष शीघ्र रखा जाएगा। यह एक उपरक पश्चात इसे संसद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

यह वैसी ही स्थिति होगी जैसी किसानों के संबंध में तो वह कानून बनाते समय हुई थी। उस समय भी किसानों से राय नहीं ली गई थी। संसद में भी उस पर बहस नहीं हो पाई थी और अपने भारी बहुमत के आधार पर शोर शोर से परित राय लिया गया था। अंततः, किसानों के केंद्र विरोध और 700 किसानों की आंदोलन में हुए मूल्य के पश्चात, सरकार को वे तीनों कानून का वापस लेने पड़े। विशेष प्रकार से प्रसारण सेवाओं को विधेयक करने के पश्चात कानून का बनाने में नहीं होगी। इसे कैबिनेट के समक्ष शीघ्र रखा जाएगा। यह एक उपरक पश्चात इसे संसद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

यह वैसी ही स्थिति होगी जैसी किसानों के संबंध में तो वह कानून बनाते समय हुई थी। उस समय भी किसानों से राय नहीं ली गई थी। संसद में भी उस पर बहस नहीं हो पाई थी और अपने भारी बहुमत के आधार पर शोर शोर से परित राय लिया गया था। अंततः, किसानों के केंद्र विरोध और 700 किसानों की आंदोलन में हुए मूल्य के पश्चात, सरकार को वे तीनों कानून का वापस लेने पड़े। विशेष प्रकार से प्रसारण सेवाओं को विधेयक करने के पश्चात कानून का बनाने में नहीं होगी। इसे कैबिनेट के समक्ष शीघ्र रखा जाएगा। यह एक उपरक पश्चात इसे संसद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

यह वैसी ही स्थिति होगी जैसी किसानों के संबंध में तो वह कानून बनाते समय हुई थी। उस समय भी किसानों से राय नहीं ली गई थी। संसद में भी उस पर बहस नहीं हो पाई थी और अपने भारी बहुमत के आधार पर शोर शोर से परित राय लिया गया था। अंततः, किसानों के केंद्र विरोध और 700 किसानों की आंदोलन में हुए मूल्य के पश्चात, सरकार को वे तीनों कानून का वापस लेने पड़े। विशेष प्रकार से प्रसारण सेवाओं को विधेयक करने के पश्चात कानून का बनाने में नहीं होगी। इसे कैबिनेट के समक्ष शीघ्र रखा जाएगा। यह एक उपरक पश्चात इसे संसद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

यह वैसी ही स्थिति होगी जैसी किसानों के संबंध में तो वह कानून बनाते समय हुई थी। उस समय भी किसानों से राय नहीं ली गई थी। संसद में भी उस पर बहस नहीं हो पाई थी और अपने भारी बहुमत के आधार पर शोर शोर से परित राय लिया गया था। अंततः, किसानों के केंद्र विरोध और 700 किसानों की आंदोलन में हुए मूल्य के पश्चात, सरकार को वे तीनों कानून का वापस लेने पड़े। विशेष प्रकार से प्रसारण सेवाओं को विधेयक करने के पश्चात कानून का बनाने में नहीं होगी। इसे कैबिनेट के समक्ष शीघ्र रखा जाएगा। यह एक उपरक पश्चात इसे संसद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

यह वैसी ही स्थिति होगी जैसी किसानों के संबंध में तो वह कानून बनाते समय हुई थी। उस समय भी किसानों से राय नहीं ली गई थी। संसद में भी उस पर बहस नहीं हो पाई थी और अपने भारी बहुमत के आधार पर शोर शोर से परित राय लिया गया था। अंततः, किसानों के केंद्र विरोध और 700 किसानों की आंदोलन में हुए मूल्य के पश्चात, सरकार को वे तीनों कानून का वापस लेने पड़े। विशेष प्रकार से प्रसारण सेवाओं को विधेयक करने के पश्चात कानून का बनाने में नहीं होगी। इसे कैबिनेट के समक्ष शीघ्र रखा जाएगा। यह एक उपरक पश्चात इसे संसद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत क

